

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपज्ज्वा अधिकारी

मुकाम

बायवु

द्वारा लाराम

बनाम

द्वारा लाराम जगेश

किस्म मुकदमा

राज आवेदन

नं

133/2022

सन्

2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/3/22  19/04/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>विद्यादेवारायण शिवा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>19/4/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर (SDO) बायवु</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी के नोटिस तामिल दुहा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली दिनांक 19/4/22 को बायवु तामिल अनुपस्थित। ग्याथालय समय तीन बजे तक जावाज लगाई गई। जावाज 5:45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थी गण स्वयं या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थी गणों के विरुद्ध ए 87 (क) डायरेक्ट्री डीमल में लाई जाती है। तलब वास्ते कदम पत्रावली दिनांक-27/04/2022 को पेश हो।</p>	

सहायक कलेक्टर  
(SDO) बायवु


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कमिश्नर  
(SDO) बायतु

माक / वाद / 2022 /  
प्रार्थी 361

1. होलाराम  
जाति  
पट्टन

न्यायालय

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2022/ 361  
प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 27/4/22  
विप्रार्थीगण

1. छौलाराम पुत्र चेनाराम,  
जाति जाट, निवासी हेमजी का तला,  
पटवार मण्डल बायतु चिमनजी,  
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. सताराम पुत्र भुराराम वगैरा 10,  
जाति जाट, निवासी हेमजी का तला,  
पटवार मण्डल बायतु चिमनजी,  
तहसील बायतु (बाडमेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 133/2022

#### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - हेमजी का तला, पटवार हल्का - बायतु चिमनजी, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 695/390 रकबा 4.8540 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक/वाद/2022/ 362 to 366

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री छौलाराम पुत्र चेनाराम,
4. विप्रार्थी श्री सताराम पुत्र भुराराम वगैरा 10,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक:- 27/4/22

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O) बायतु